न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

श्यामलाल बनाम जगदीश वगैरह

अपील अन्तर्गत धारा 225/राकाअ/५../2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.02.2023	पत्रावली कार्यालय से बाद जांच पेश हुई। यह अपील अन्तर्गत धारार 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 08/2023 मे पारित आदेश दिनांक 17.01.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रकरण मे अधिवक्ता श्री श्यामसिंह सोलंकी द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अत कैवियटर को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 13.02.2023 को पेश हो।	
13/02/23	अपीलांट अधिवक्ता उपस्थित। कैवियटकर्ता अधिवक्ता श्री श्यामसिंह सोलंकी उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ताओ की स्थगन प्रार्थना पर बहस सुनी गई। अपीलांट अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलांट एवं अन्य रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजीयात के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के सबध मे पूर्व मे एक वाद संख्या 2/2023 बउनवान श्यामलाल बनाम जगदीश प्रस्तुत किये जाने के बावजूद वादग्रस्त आराजीयात के संबध मे दूसरा वाद प्रस्तुत कर जैर अपील आदेश पारित करवाया गया है। जो कि धारा 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के सिद्धान्त अनुसार नल एण्ड वोईड है। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कैवियट प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टगण द्वारा आदेश 39 नियम 03 सी.पी.सी की पालना आदिनांक तक नहीं की गई है। वादग्रस्त आराजी पर समस्त खातेदार पूर्व बंटवाडे अनुसार कबिज	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश के कारण अपीलांट अपनी खातेदारी भूमि का उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहा है। अत जैर अपील आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित फरमाया जावे।

कैवियटकर्ता अधिवक्ता द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलांट एवं अन्य रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजीयात के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबध मे पूर्व मे दिनांक 09.01.2023 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, उसके पश्चात दिनांक 16.01.2023 को वादग्रस्त आराजी का विशिष्ट हिस्सा बेचान किया है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित किया जाता है तो अपीलांट वादग्रस्त आराजी को आगे से आगे बेचान कर वादग्रस्त आराजी पर अजनबी क्रेता को प्रवेश करवाने पर आमादा हो जायेगे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी के संबध मे बंटवाडे का मूल वाद विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलांट एवं अन्य रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

श्यामलाल बनाम जगदीश वगैरह

अपील अन्तर्गत धारा 225/राकाअ/..../2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजीयात के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.01.2023 की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.01.2023 को अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं उसके पश्चात वादग्रस्त आराजी का विशेष हिस्सा बेचान किया गया है। प्रकरण मे यह निर्विवाद सत्य है कि हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध मे मूल बंटवाडे का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उक्त वाद विचाराधीन रहते हुए वादग्रस्त आराजी के मौके व राजस्व रेकर्ड की स्थिति मे किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो इससे निश्चय ही वाद बाहुल्यता बढेगी, जिससे इंकार नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जिसमे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा उक्त अपील अंतरिम व्यादेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। वादग्रस्त आराजीयात से संबधित मूल निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निर्णीत होगा। ऐसी स्थिति मे उक्त अपील को विचाराधीन रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अत अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात के संबध मे आपके न्यायालय मे विचाराधीन समस्त वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना को कंसोलिडेट करे। एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना का समस्त पक्षकारो को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए 02 माह के भीतर विधिसम्मत आदेश पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। 13.02.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली